

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद सं० 301/21-22

मड़की मुण्डा.....विक्रेता

बनाम्

जाम्बी सोना.....क्रेता

आदेश का क्रम  
संख्या और  
तारीख

18.12.2023

आदेश


की गई  
कार्रवाई


अभिलेख उपस्थापित।

उभय पक्ष अनुपस्थित। अंचल अधिकारी का जाँच प्रतिवेदन अवतक अप्राप्त है। आवेदक (विक्रेता) मड़की मुण्डा के द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी गवाही नहीं की गई है। साथ ही विक्रेता के द्वारा अवलोकन हेतु मूल कागजात भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। उपरोक्त तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि आवेदक को पर्याप्त एवं समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् भी प्रश्नगत भूमि की विक्री करने में कोई अभिरूचि नहीं ली गई।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में तथा विक्रेता (आवेदक) के द्वारा वाद में कोई अभिरूचि नहीं लेने के कारण वाद की कार्रवाई ~~समाप्त~~ की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।